प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक
रोज सेण्ट्रल पब्लिक स्कूल,
परसरा, खालिसपुर, पिण्डरा, वाराणसी।

पत्रांक : बेसिक/ 16267-70 /2017-18 दिनांक : 02 फरवरी, 2018

विषय : विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18 (20)/91 दिनांक 08.05.2013 में दिये गये निर्देश के क्रम में मान्यता समिति के अनुमोदनोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक : बेसिक/8774-76/ 2015-16 दिनांक 22.12.2015 के द्वारा रोज सेण्ट्रल पब्लिक स्कूल, परसरा, खालिसपुर, पिण्डरा, वाराणसी को दिनांक 01.07.2015 से 31.03.2018 तक 03 वर्ष की अवधि तक के लिए कक्षा-नर्सरी से 8 तक के लिए अनन्तिम अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्रदान की गयी थी। इस सन्दर्भ में आपने अपने पत्र दिनांक 31.01.2018 के द्वारा अन्य पत्रजात की प्रति संलग्न करते हुए विद्यालय की मान्यता को नवीनीकृत किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली के परीक्षणोपरान्त एवं दिनांक 01.07.2015 से 31.03.2018 के बीच मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही हुआ। उक्त विद्यालय दिनांक 21.08.2015 से 20.08.2045 तक की अवधि के लिए रजिस्टर्ड किरायेदारी के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

अतः विद्यालय द्वारा मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने के फलस्वरूप रोज सेण्ट्रल पब्लिक स्कूल, परसरा, खालिसपुर, पिण्डरा, वाराणसी को इस कार्यालय के पत्रांक : बेसिक/8774-76/2015-16 दिनांक 22.12.2015 के द्वारा दी गयी मान्यता को इस प्रतिबन्ध के साथ रजिस्टर्ड किरायेदारी की समाप्ति तक स्थायी किया जाता है कि शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18 (20)/91 दिनांक 08.05.2013 में उल्लिखित शर्ते यथावत् लागू रहेंगे तथा विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित 01 या 01 से अधिक शर्तो का उल्लंघन करने अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गयी हो तो शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18 (20)/91 दिनांक 08.05.2013 के नियम-13 के उपनियम (क), (ख), (ग), (घ) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त प्रबन्धक द्वारा कोई तथ्य छिपाने अथवॉ कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय,
02/02/2018
(बृज भूषण चौधरी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।
2/2/18

पृ0सं0 : बेसिक/ /2017-18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 - सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2 - मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल, वाराणसी।
3 - सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, ग्रामीण/नगर क्षेत्र, वाराणसी।

(बृज भूषण चौधरी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

F:\Permanent Manyata.doc

Scanned by TapScanner

9. उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा, और किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(अजय कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

पृ0सं0/एन0ओ0सी0/ 8109-17 /2017–18 दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
3. जिलाधिकारी वाराणसी।
4. शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रबन्धक, रोज सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल परसरा खालिसपुर पिण्डरा वाराणसी।
8. गार्ड फाइल हेतु।

(अजय कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

Scanned by TapScanner